भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 392

28.11.2024 को उत्तर के लिए

प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को लागू किया जाना

392. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की यूरोपीय संघ के समान एक प्रकृति पुनर्स्थापन कानून लाने की योजना है जिसमें वर्ष 2030 तक 20 प्रतिशत अवक्रमित पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली को अनिवार्य बनाया गया है, यदि हां, तो क्या इस पुनर्स्थापन के लिए विशिष्ट समय-सीमा और भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की गई है और इस चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वैश्विक पूर्वानुमानों के अनुरूप बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन के आर्थिक और सामाजिक लाभों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) भूमि क्षरण के संबंध में इसरो की रिपोर्टों के बावजूद पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार ऐसे कानून के बिना इसे किस प्रकार से कम करने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तिवर्धन सिंह):

(क) से (ग): वर्ष 2022 के दौरान हुए जैव विविधता कन्वेंशन द्वारा कनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) का अद्यतन करके इसे किया है। एनबीएसएपी पर्यावरणीय चुनौतियों को है और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, प्रजातियों

की पुनर्बहाली संबंधी कार्यक्रमों और समुदाय-संचालित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से उनका समाधान करने के लिए कार्यनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है, जो अवक्रमित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, आर्द्रभूमि की सुरक्षा और समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों के संधारणीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का लक्ष्य विशेष रूप से बंजर और अवक्रमित भूमि पर वृहद् वनरोपण कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वनों और वृक्ष आवरण को सतत रूप से बढ़ाना है,

भारत ने बॉन चुनौती और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेशन (यूएनसीसीडी) के तहत अपने दायित्वों के रूप में वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अब तक भारत 18.94 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि की पुनर्बहाली करने में सफल रहा है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
